न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

गणगोरी बनाम जवाहरलाल

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट

वाद संख्या– 02/163/2022

30.09.2022 आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया कि खातेदारी आराजी के खसरा संख्या 106/0.20, 107/0.40, 120/0.34, 124/0.03, 125/0.35, 126/0.80 वाके ग्राम कालीपहाडी तहसील राजगढ जिला अलवर से विवादित आराजी में प्राथीगण के साथ कार्यकाश्त में किसी भी प्रकार की रूकावट व मजाहमत पैदा न करें व न विवादित आराजी को किसी भी प्रकार से रहन बय आदि द्वारा मुन्तिकल करें, रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत बनायें रखें। साथ में शपथ पत्र पेश किया।

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को निम्न तीन महत्वपूर्ण बिन्दुओ पर जॉचना आवश्यक है–

(अ) मुतनाजा आराजी पर प्रार्थी का स्वत्व/कब्जा होना आवश्यक है।

(ब) प्रकरण में सुविधा का सन्तुलन का प्रार्थी के पक्ष में झुकाव होना आवश्यक है।

(स) प्रकरण में मुतनाजा आराजी पर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को बेदखल किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना साबित होनी चाहिये।

वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी उक्त आराजी का अभिलिखित खातेदार है। अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी, शपथ पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज पर विश्वास करते हुऐ अप्रार्थीगण को आराजी के खसरा संख्या 106/0.20, 107/0.40, 120/0.34, 124/0.03, 125/0.35, 126/0.80 वाके ग्राम कालीपहाडी तहसील राजगढ जिला अलवर को आगामी तारीख पेशी दिनांक 04.11.2022 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जा है कि विवादित आराजी पर आगामी तारीख पेश तक रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें। अप्रार्थीगण जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। इस संबध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 04.11.2022 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें। दर्ज हो।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ (अलवर)

4-11-22 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यो में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 5-1-23 को पेश हो।

रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	12/1/26 पत्रावली पेश। वकील उपस्थित। बहस वकील सुनी गयी। बाद गौर बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थना पत्र धारा 52 खारिज / अस्वीकार किया जाता है एवं इसी न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 30/9/2022 भी यथावत / खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद पूर्ति नक्ल कि वास्ते रिकार्ड रवाना मुलवाद हो। SDO